



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

25 जून 2026

**आरबीआई ने मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन)
निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन) निदेश, 2026' का मसौदा जारी किया। बैंकों, बाज़ार सहभागियों, निवेशकों और अन्य इच्छुक हितधारकों से इन निदेश के मसौदे पर 17 जुलाई 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

मसौदा निदेश पर प्रतिक्रिया निम्नलिखित पते पर:

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग

9वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन

शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट

मुंबई - 400001

या [ईमेल](mailto:helpdoc@rbi.org.in) द्वारा "मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन) निदेश, 2026" का मसौदा पर प्रतिक्रिया" विषय पंक्ति के साथ भेजी जा सकती है।

पृष्ठभूमि

सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किए जाते हैं। स्पष्टता बढ़ाने, अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और सभी हितधारकों को संदर्भ का एक एकल बिंदु प्रदान करने के उद्देश्य से, इन निदेश के मसौदे में सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन करने संबंधी मौजूदा अनुदेशों को समेकित किया गया है।

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक